

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:-(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:-365/2023

3 विनोद कुमार बनाम हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 16 एमडी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ

- वादी

बनाम्

- 1 हरीराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी चक 16 एमडी मुण्डा तहसील व जिला हनु.
- 2 दीपिका पुत्री हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 16 एमडी मुण्डा तह. व जिला हनु.

- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री शमशेर सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व राजीनामा अनुसार डिक्री दी जाती है कि:- चक 14 के.एस.पी. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 53/48, खाता नत्थूराम आदि, ज.स. 2075-78 में दर्ज कुल 6.216 है. में प्रतिवादी सं. 1 हरीराम के नाम दर्ज 262/777 हिस्सा यानि 2.096 है. में से वादी विनोद कुमार को 1/2 हिस्सा यानि 1.048 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 हरीराम का हिस्सा कम करने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी सं. 2 दीपिका ने अपना हक व हिस्सा राजीनामा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में ब.हि.ब त्याग दिया है इसलिए प्रतिवादी सं. 2 का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा शेष नहीं होगा। तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो वसूल करेंगे। तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो वसूल करेंगे व यदि किसी स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायमी के आदेश दिए जाते है। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक को जारी किया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

